

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

का०आ०सं०-4/यो०ब०-44/2015 686

व०व०,दिनांक- 05.02.2016

कार्यालय आदेश -12

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरोपण कार्यों लिए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर कय समिति का गठन किया गया है। बदले हुए परिवेश में विभागीय मुख्यालय में वनरोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं को प्राप्त करने हेतु समिति का गठन नहीं किया गया है जिसके कारण प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो रहे हैं।

विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा कमिटी का गठन नहीं किया गया है, उन विषयों पर सरकारी परिपत्रों के आलोक में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए निम्नवत् Procurement समिति का गठन किया जाता है:-

1.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष
2.	सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
3.	मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन	सदस्य
4.	मुख्य वन संरक्षक, निगरानी	सदस्य
5.	वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	निगरानी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	उप वन संरक्षक, योजना जनजातीय क्षेत्र	सदस्य सचिव
8.	विषय विशेषज्ञ	आमंत्रित सदस्य

2. समिति में विषय विशेषज्ञ सदस्य का चयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के अनुमोदनोपरांत किया जाएगा।

समिति की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के अनुमोदनोपरांत लिया जाएगा।

05 FEB 2016 यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड
संख्या 469

ह०/
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-4/यो०ब०-44/2015 686

व०प०,दिनांक- 05.02.2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन/मुख्य वन संरक्षक, निगरानी/योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/उप वन संरक्षक, योजना जनजातीय क्षेत्र/प्रधान सचिव के प्रधान आर्क्ष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची तथा सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव